स्थापित वर्ष 1904

जिला बार एसोसिएशन बाराबंकी

नरेन्द्र कुमार वर्मा
अध्यक्ष
मो0नं0-9415595798, 7355565850

ADVOCATE

रितेश कुमार मिश्र
महामंत्री
मो0नं0-9580320754

मोहन कुमार सिंह
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
मो0नं0-9616753001
मनोज कुमार श्रीवास्तव (हैप्पी)
उपाध्यक्ष प्रथम
मो0नं0-9415296887
उमेश चन्द्र वर्मा (पम्मू)
उपाध्यक्ष द्वितीय
मो0नं0-9936361872
महेन्द्र कुमार सिंह
कोषाध्यक्ष
मो0नं0-8707587942
पंकज कुमार यादव
संयुक्त मंत्री प्रशासन प्रभारी
मो0नं0-9919158008
योगेश कुमार तिवारी
संयुक्त मंत्री प्रकाशन प्रभारी
मो0नं0-7007414596
रामशंकर रावत
संयुक्त मंत्री पुस्तकालय प्रभारी
मो0नं0-9559487482

वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य

अमरेश कुमार मौर्य
मो0नं0-9450741432
संजय कुमार
मो0नं0-9936984374
अरविन्द कुमार यादव
मो0नं0-9450278718
अनुज कुमार श्रीवास्तव 'शेरू'
मो0नं0-9935342558
राम प्रकाश
मो0नं0-7355127342
ओम प्रकाश यादव
मो0नं0-9793803074

कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य

अमित कुमार
मो0नं0-9648192670
सर्वेश कुमार मौर्य
मो0नं0-9451853534
मनोज कुमार राजपूत
मो0नं0-9984208888

पत्रांक 441/2023 दिनांक 27.1.23

प्रेषक

नरेन्द्र कुमार वर्मा

(अध्यक्ष)

जिला बार एसोसिएशन बाराबंकी।

सेवा में,

प्रधानाचार्य

टी. आर सी ला कालेज सतरिख

बाराबंकी।

महोदय,

आपके पत्र 16/01/2023 का सम्मान पूर्वक अवलोकन कर पत्र में वांछित अनुरोध को स्वीकार किया जाता है।आप अपने कालेज के विद्यार्थियों को दिनाँक 02/02/2023 को समय 1:30 बजे जिला बार एसोसिएशन बाराबंकी भ्रमण हेतु सादर आमन्त्रित है।

प्रतिलिपि -महामंत्री जिलाबार को सूचनार्थ प्रेषित हो ।

भवदीय

नरेन्द्र कुमार वर्मा

(अध्यक्ष)

नरेन्द्र कुमार वर्मा
अध्यक्ष
जिला बार एसोसिएशन,बाराबंकी

जिला बार भ्रमण 2023 (फरवरी)

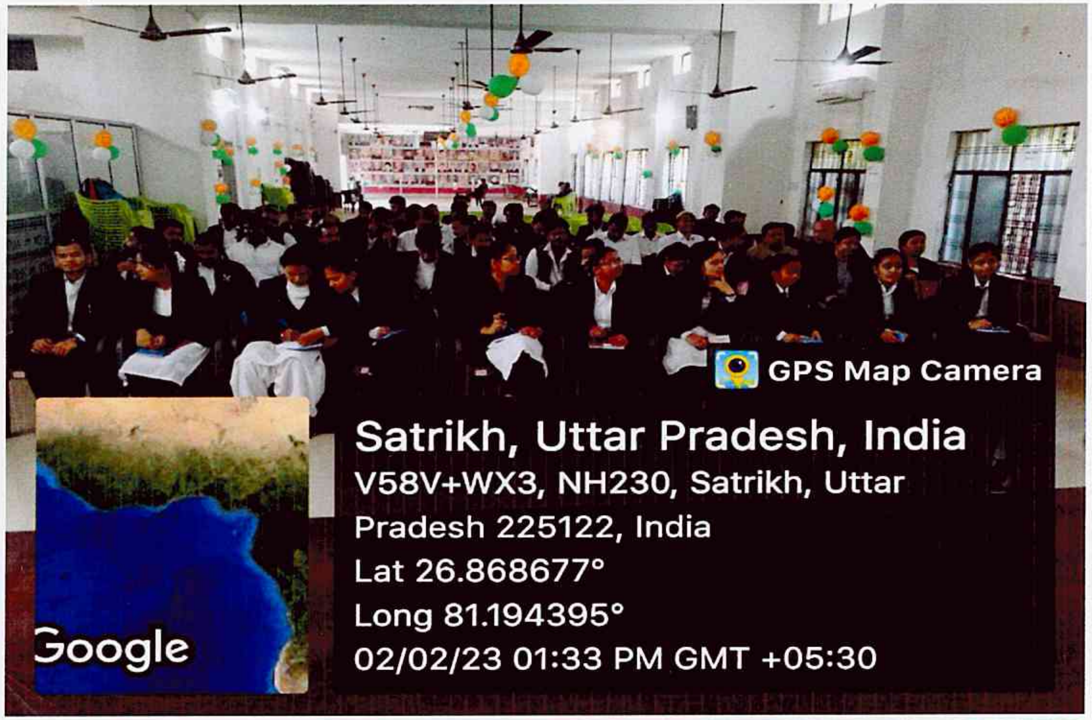

जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा ने कानून अध्ययन करने वाले टीआरसी लॉ सतरिख के विद्यार्थियों को कई कोर्टों का भ्रमण कराते हुए पढ़ाया कानून का पाठ

स्वतंत्र प्रभात

बाराबंकी-आज 2 फरवरी23 को टी आर सी ला कालेज के सात दर्जन विद्यार्थियों को सर्व प्रथम जिला बार सभागार बाराबंकी में सभी विद्यार्थियों को विद्धिक जानकारी देते हुए बताया कि वकालत एक तपस्या है जो जितनी तपस्या करेगा उसको उतनी सफलता मिलेगी ।कचहरी में आने से पहले कोर्ट की कार्यप्रणाली व जूनियर सीनियर का सम्मान प्रथम दायित्व होता है सबसे पहले जिस छेत्र में जाना है उस छेत्र के सीनियर के शंरक्ष्ड में जाना होगा ।आजकल के दौर में बिना सीनियर के ही कुछ लोग वकालत करने लगते हैं जो अच्छे वकील बनने मे प्रभाव रखता है इसके अतरिक्त अनुभव के अभाव में वादकारियों के खिलाफ निर्णय हो जाते है जबकि वादकारी आपके विश्वास पर सादे कागज पर अंगूठा लगा देता है हस्ताक्षर कर देता उसको आपक अनुभव की जानकारी नही होती है इस लिये जूनियर अधिवक्ता को जहा न समझ आ रहा हो कोई कार्यवाही से पूर्व किसी सीनियर अधिवक्ता से पूछने में हिचक नही करना चाहिये ।कायक्रम में जिला बार उपाध्यक्ष प्रथम मनोज श्रीवास्तव, कार्यकारिणी सदस्य मनोज राजपूत, अनुज श्रीवास्तव, गौरव गुप्ता ,ओम प्रकाश यादव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बलराम सिंह ,शैलेन्द्र वर्मा ,मो आफाक, राजेश पांडे राम प्रकाश सहित सैकड़ों अधिवक्तागड तथा कालेज के प्रोफेशर मंजय कुमार यादव ,प्रो,अंकित मिश्रा, प्रो धर्मेन्द्र यादव आदिने भाग लेकर कानूनी पहलुओं पर विचार रखे ।

रहा है इसी क्रम में बृहस्पतिवार जिला स्तरीय सेमिनार का की मदद करने के लिए एंबुलेंस शिक्षक एवं छात्राएं उपस्थित रहे वालों के विरुद्ध तत्काल कठोर

जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा ने विधि के छात्रों को दी महत्वपूर्ण जानकारी

प्रणाम हिन्दुस्तान
परमजीत सिंह (बाबा)

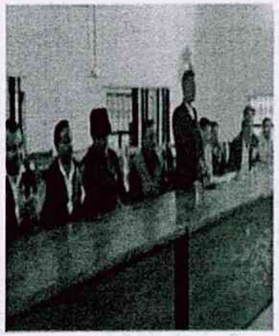

बाराबंकी – जनपद बाराबंकी कचहरी में पहुंचे टी. आर. सी. लॉ कालेज सतरिख के विधि के छात्रों को जिला बार एसोसिएशन बाराबंकी के अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा ने जिला बार व जिले की सभी कोर्टो का भ्रमण कराया और विधि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। जिला बार सभागार बाराबंकी में टीआरसी. लॉ कॉलेज के करीब 80 छात्र –छात्राओं को विधिक जानकारी देते हुए बताया कि वकालत एक तपस्या है जो जितनी तपस्या करेगा उसको उतनी सफलता मिलेगी। कचहरी में आने से पहले कोर्ट की कार्यप्रणाली व जूनियर द्वारा सीनियर का सम्मान करना प्रथम दायित्व होता है। सबसे पहले जिस क्षेत्र मे जाना है उस क्षेत्र के सीनियर के संरक्षण में जाना होगा। आजकल के दौर में बिना सीनियर के संरक्षण के ही कुछ लोग वकालत करने लगते हैं। सीनियर अधिवक्ता का संरक्षण एक अच्छा वकील बनने में प्रभाव रखता है। इसके अतिरिक्त अनुभव के अभाव में वादकारियों के खिलाफ निर्णय हो जाते है जबकि वादकारी आपके विश्वास पर सादे कागज पर अंगूठा लगा देता है, हस्ताक्षर कर देता है। उसको आपके अनुभव की जानकारी नहीं होती है इस लिये जूनियर अधिवक्ता को जहां न समझ आ रहा हो तो कोई कार्यवही से पूर्व किसी सीनियर अधिवक्ता से पूछने में हिचक नहीं करना चाहिये। कार्यक्रम में जिला बार उपाध्यक्ष प्रथम मनोज श्रीवास्तव, कार्यकारिणी सदस्य मनोज राजपूत, अनुज श्रीवास्तव, गौरव गुप्त, ओम प्रकाश यादव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बलराम सिंह, शैलेन्द्र वर्मा, मो० आफाक, राजेश पांडे सहित सैकड़ों अधिवक्तागण तथा कालेज के प्रोफेसर मंजय कुमार यादव, प्रो० अंकित मिश्रा, प्रो० धर्मेन्द्र यादव ने भी भाग लेकर कानूनी पहलुओं पर विचार रखें।

गई है। अभियुक्त ने ए भी बताया स्थानों पर चोरी करने की बात अभिषेक सिंह शामिल थे। को भारी बहुमत से जीतेंगी। उन्होंने

टी.आर.सी. लॉ कॉलेज का बार अध्यक्ष ने किया भ्रमण, छात्र छात्राओं को पढ़ाया नैतिकता का पाठ

पूर्वांचल राज्य संवाददाता

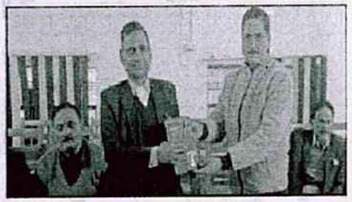

बाराबंकी। गुरूवार को टी.आर.सी. लॉ कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जिला बार एसोसिएशन के भ्रमण के दौरान अधिवक्ता नैतिकता, न्यायालय की कार्यवाही आदि की जानकारी ली। विधि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने मुकदमों से सम्बन्धित न्यायालयों, वाद पत्रों आदि के बारे में जिला बार एसोसिएशन, बाराबंकी के अध्यक्ष नरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने छात्र छात्राओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को विषय, बार-बेंच सम्बन्ध, न्यायालयों एवं अपने पाठ्यक्रम का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और उनकी मूट कोर्ट द्वारा, बार भ्रमण आदि के द्वारा प्रयोगात्मक जानकारी करना अति आवश्यक है। मूट कोर्ट एवं प्रोफेशनल इथिक्स के बारे में जानकारी देते हुए अधिवक्ता मनोज बाजपेई ने कहा कि विधि के विद्यार्थियों को निरन्तर मूटकोर्ट का अभ्यास करना चाहिए एवं वैयक्तिक आचार की जानकारी अपने व्यवसाय में जरूर अपनाना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता बलराम सिंह ने बताया कि विधि का ज्ञान दीवा है और वाद पत्र भगवान का मुख है। अधिवक्ता समाज का इंजीनियर है। प्रत्येक अधिवक्ता की ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए। जिससे वह अपने विषय की प्रस्तुति न्यायालय में अच्छी तरह से कर सके। अधिवक्ता का समाज के प्रति भी दायित्व होता है। अधिवक्ता मोहम्मद अशफाक ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं का कनिष्ठ अधिवक्ताओं के प्रति क्या भाव होना चाहिए। वरिष्ठ और कनिष्ठ को एक दूसरे के प्रति आदर करने की भावना हर अधिवक्ता में होनी चाहिए। उन्होंने दो बातों पर जोर देते हुए कहा कि भारतीय दण्ड संहिता का अध्ययन और इसके साथ साथ दण्ड प्रक्रिया का अध्ययन होना अति आवश्यक है।

टी आर सी ला कालेज ला छात्रों को नरेंद्र वर्मा अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन भ्रमण कर बताया कानून का पाठ

श्रवण कुमार यादव। सतरिख बाराबंकी टी आर सी ला कालेज के विद्यार्थियों को सर्व प्रथम जिला बार सभागार बाराबंकी में करीब 80 छात्र छात्राओं कोविद्धिक जानकारी देते हुए बताया कि वकालत एक तपस्या है जो जितनी तपस्या करेगा उसको उतनी सफलता मिलेगी ।कचहरी में आने से पहले कोर्ट की कार्यप्रणाली व जूनियर सीनियर के सम्मान प्रथम दायित्व होता है सबसे पहले जिस छेत्र में जाना है उस छेत्र के सीनियर के सरंछड़ में जाना होगा ।आजकल के दौर में बिना सीनियर के हि कुछ लोग वकालत करने लगते हैं जो अच्छे वकील बनने में प्रभाव रखता है इसके अतरिक्त अनुभव के अभाव में वादकारियों के खिलाफ निर्णय हो जाते हैं जबकि वादकारी आपके विश्वास पर सादे कागज पर अंगूठा लगा देता है हस्ताछर कर देता उसको आपके अनुभव की जानकारी नही होती है इस लिये जूनियर अधिवक्तता को जंहा न समझ आ रहा हो कोई कार्यवाही से पूर्व किसी सीनियर अधिवक्तता से पूछने में हिचक नही करना चाहिये ।कार्यक्रम में जिला बार उपाध्यक्ष प्रथम मनोज श्रीवास्तव, कार्यकारिणी सदस्य मनोज राजपूत, अनुज श्रीवास्तव, गौरव गुप्ता ,ओम प्रकाश यादव एवं वरिष्ठ अधिवक्तता बलराम सिंह ,शैलेन्द्र वर्मा ,मो आफाक, राजेश पांडे सहित सैकड़ों अधिवक्तागड तथा कालेज के प्रोफेशर मंजय कुमार यादव ,प्रो,अंकित मिश्रा, प्रो धर्मेन्द्र यादव ने भागलेकर कानूनी पहलुओं पर विचार रखे।

टीआरसी लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों ने जिला बार एसो. का किया भ्रमण

बाराबंकी। गुरुवार को टी.आर.सी. लॉ कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जिला बार एसोसिएशन के भ्रमण के दौरान अधिवक्ता नैतिकता, न्यायालय की कार्यवाही आदि की जानकारी ली। विधि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने मुकदमों से सम्बन्धित न्यायालयों, वाद पत्रों आदि के बारे में जिला बार एसोसिएशन, बाराबंकी के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में जाना। उन्होंने छात्र छात्राओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को विषय, बार-बेंच सम्बन्ध, न्यायालयों एवं अपने पाठ्यक्रम का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और उनकी मूट कोर्ट द्वारा, बार भ्रमण आदि के द्वारा प्रयोगात्मक जानकारी करना अति आवश्यक है।

मूट कोर्ट एवं प्रोफेशनल इथिक्स के बारे में जानकारी देते हुए अधिवक्ता श्री मनोज बाजपेई जी ने कहा कि विधि के विद्यार्थियों को निरन्तर मूटकोर्ट का अभ्यास करना चाहिए एवं वैयक्तिक आचार की जानकारी अपने व्यवसाय में जरूर अपनाना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बलराम सिंह ने बताया कि विधि का ज्ञान दीया है और वाद पत्र भगवान का मुख है। अधिवक्ता समाज का इंजीनियर है। प्रत्येक अधिवक्ता की ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए। जिससे वह अपने विषय की प्रस्तुति न्यायालय में अच्छी तरह से कर सके। अधिवक्ता का समाज के प्रति भी दायित्व होता है। अधिवक्ता मोहम्मद अशफाक ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं का कनिष्ठ अधिवक्ताओं के प्रति क्या भाव होना चाहिए। वरिष्ठ और कनिष्ठ को एक दूसरे के प्रति आदर करने की भावना हर अधिवक्ता में होनी चाहिए। उन्होंने दो बातों पर जोर देते हुए कहा कि भारतीय दण्ड संहिता का अध्ययन और इसके साथ साथ दण्ड प्रक्रिया का अध्ययन होना अति आवश्यक है।

अधिवक्ता शैलेन्द्र वर्मा ने कहा कि अधिवक्ता पद की गरिमा का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए और पूरे मनोयोग के साथ अपने व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए। भ्रमण के दौरान विधि के विद्यार्थियों को जिला जज के न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों की कार्यवाई से अवगत कराया गया। इस अवसर पर विधि महाविद्यालय के प्रवक्ता श्री मंजय यादव, श्री अंकित मिश्रा, श्री धर्मेन्द्र कुमार सहित भारी संख्या में महाविद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।

टीआरसी लॉ कॉलेज के छात्रों ने बार अध्यक्ष के साथ कोर्ट का किया भ्रमण

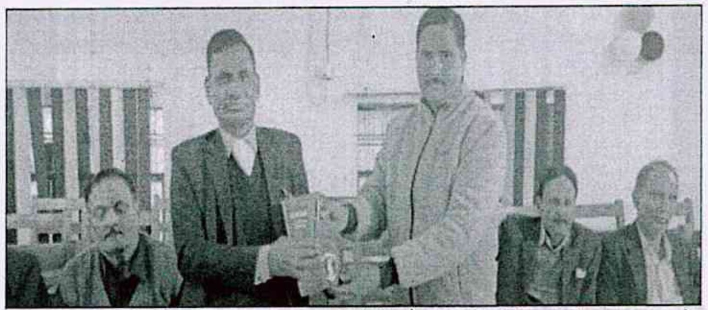

शाह टाइम्स ब्यूरो

बाराबंकी। गुरूवार को टीआरसी लॉ कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जिला बार एसोसिएशन के भ्रमण के दौरान अधिवक्ता नैतिकता, न्यायालय की कार्यवाही आदि की जानकारी ली। विधि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने मुकदमों से सम्बन्धित न्यायालयों, वाद पत्रों आदि के बारे में जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष नरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में जाना। उन्होंने छात्र छात्राओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को विषय, बार-बेंच सम्बन्ध, न्यायालयों एवं अपने पाठ्यक्रम का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और उनकी मूट कोर्ट द्वारा, बार भ्रमण आदि के द्वारा प्रयोगात्मक जानकारी करना अति आवश्यक है। कोर्ट एवं प्रोफेशनल इथिक्स के बारे में जानकारी देते हुए अधिवक्ता मनोज बाजपेई ने कहा कि विधि के विद्यार्थियों को निरन्तर मूटकोर्ट का अभ्यास करना चाहिए एवं वैयक्तिक आचार की जानकारी अपने व्यवसाय में जरूर अपनाना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता बलराम सिंह ने बताया कि विधि का ज्ञान दीया है और वाद पत्र भगवान का मुख है। अधिवक्ता समाज का इंजीनियर है। प्रत्एक अधिवक्ता की ड्राफटिंग अच्छी होनी चाहिए। जिससे वह अपने विषय की प्रस्तुति न्यायालय में अच्छी तरह से कर सके। अधिवक्ता का समाज के प्रति भी दायित्व होता है। अधिवक्ता मोहम्मद अशफाक ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं का कनिष्ठ अधिवक्ताओं के प्रति क्या भाव होना चाहिए। वरिष्ठ और कनिष्ठ को एक दूसरे के प्रति आदर करने की भावना हर अधिवक्ता में होनी चाहिए। उन्होंने दो बातों पर जोर देते हुए कहा कि भारतीय दण्ड संहिता का अध्ययन और इसके साथ साथ दण्ड प्रक्रिया का अध्ययन होना अति आवश्यक है। अधिवक्ता शैलेन्द्र वर्मा ने कहा कि अधिवक्ता पद की गरिमा का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए और पूरे मनोयोग के साथ अपने व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए। भ्रमण के दौरान विधि के विद्यार्थियों को जिला जज के न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों की कार्यवाई से अवगत कराया गया। इस अवसर पर विधि महाविद्यालय के प्रवक्ता मंजय यादव, अंकित मिश्रा, धर्मेन्द्र कुमार सहित भारी संख्या में महाविद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।

टीआरसी ला कालेज के छात्रों ने किया जिला न्यायालय का भ्रमण

गरीबों का सहारा

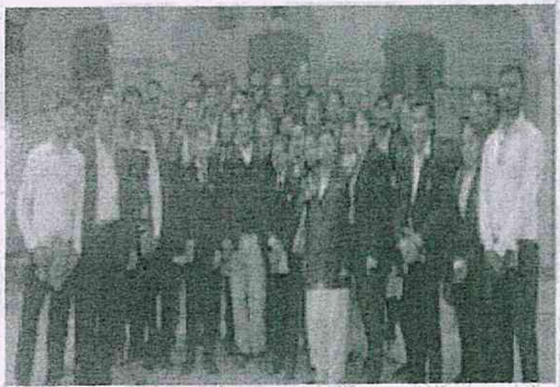

बाराबंकी। जिला बार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष नरेन्द्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में टीआरसी ला, सतरिख के छात्रों ने जिला एवं सत्र न्यायालय का भ्रमण किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार टीआरसी ला कालेज के छात्रों को नरेंद्र वर्मा ने जिला बार व जिले की सभी न्यायालय का भ्रमण कराकर बताया कानून का पाठ। आज टी आर सी ला कालेज के विद्यार्थियों को सर्वप्रथम जिला बार सभागार बाराबंकी में करीब 80 छात्र छात्राओं को विधिक जानकारी देते हुए बताया कि वकालत एक तपस्या है जो जितनी तपस्या करेगा उसको उतनी सफलता मिलेगी। कचहरी में आने से पहले कोर्ट की कार्यप्रणाली व जूनियर सीनियर के सम्मान प्रथम दायित्व होता है सबसे पहले जिस क्षेत्र में जाना है उस क्षेत्र के सीनियर के संरक्षण में जाना होगा। आजकल के दौर में बिना सीनियर के ही कुछ लोग वकालत करने लगते हैं जो अच्छे वकील बनने में प्रभाव रखता है। इसके अतिरिक्त अनुभव के अभाव में वादकारियों के खिलाफनिर्णय हो जाते हैं जबकि वादकारी आपके विश्वास पर सादे कागज पर अंगूठा लगा देता है तथा हस्ताक्षर कर देता उसको आपके अनुभव की जानकारी नही होती है। इसलिये जूनियर अधिवक्ता को जंहा न समझ आ रहा हो कोई कार्यवाही से पूर्व किसी सीनियर अधिवक्ता से पूछने में हिचक नही करना चाहिये। कार्यक्रम में जिला बार उपाध्यक्ष प्रथम मनोज श्रीवास्तव, कार्यकारिणी सदस्य मनोज राजपूत, अनुज श्रीवास्तव, गौरव गुप्ता, ओम प्रकाश यादव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बलराम सिंह, शैलेन्द्र वर्मा, मो. आफाक, राजेश पाँडे सहित सैकड़ों अधिवक्तागण तथा कालेज के प्रोफेसर मंजय कुमार यादव, अंकित मिश्रा, धर्मेन्द्र यादव ने सम्मिलित होकर कानूनी पहलुओं पर विचार रखे।

शराब पीकर वाहन चलाना अपराध

यातायात जागरुकता गोष्ठी में मौजूद छात्राएं• हिन्दुस्तान

बाराबंकी। शराब पीकर वाहन चलाना, दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग न करना, दुपहिया वाहन पर तीन सवारी चलना व सड़क पर फोन पर बात करते हुए सड़क पार करना सब अपराध है।

यह बात यातायात निरीक्षक नंद कुमार यादव ने मुंशी रघुनंदन प्रसाद सरदार पटेल महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय दशहराबाग के सभागार में सड़क सुरक्षा माह के तहत आयोजित जिलास्तरीय सेमिनार में कही। सेमिनार का आयोजन श्री हंस शैक्षणिक व सेवा संस्थान लखनऊ द्वारा किया गया।

सेमिनार का उद्घाटन सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज राजेश कुमार सिंह ने सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया गया। मुख्य अतिथि राजेश कुमार सिंह ने कहा कि हमारा युवा स्वयं जागरूक होकर समाज में जागरूकता प्रसारित करने में भी अपना सहयोग करेगा। पीटीओ उमाशंकर मिश्रा ने कहा कि सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति सभी को जागरूक करना है व स्वयं भी जागरूक होना है। इन नियमों को जीवन में उतारना भी है। मौके पर संरक्षक केके तिवारी, प्राचार्या डॉ. ऊषा चौधरी, डॉ. आरती श्रीवास्तव, डा. रेणुका चौधरी आदि उपस्थित थीं। टीआरसी लॉ कॉलेज में भी कार्यक्रम हुआ।

उधर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बार एसोसिएशन बाराबंकी के सहयोग से सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र हैदरगढ़ में जोजोआईसी स्कूल में यातायात गोष्ठी हुई।

Page 1 | 03-Feb-2023

क़ौमी ख़बरें | डॉक्टर रेहान अलवी

قومی خبریں

ٹی آرسی لاء کالج سترکھ کے قانون کے طلباء نے عدالتوں کا کیا دورہ

ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بارہ بنکی کے صدر نریندر کمار ورما بھی رہے ساتھ

سترکھ، بارہ بنکی۔ (ڈاکٹر ریحان علوی) ٹی آرسی لاء کالج سترکھ میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء نے تمام عدالتوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بارہ بنکی کے صدر نریندر کمار ورما بھی موجود تھے۔ ڈسٹرکٹ بار کے صدر کے ہمراہ تقریباً 80 طلباء عدالتوں میں گئے اور تمام معلومات حاصل کیں۔ اس کے بعد بار ایسوسی ایشن کے آڈیٹوریم میں قانونی جانکاری دیتے ہوئے نریندر ورما نے کہا کہ وکالت ایک تپسیا ہے۔ جو جتنی زیادہ تپسیا کرے گا اتنی ہی زیادہ کامیابی اسے ملے گی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد عدالت میں آنے پر یہ اولین ذمہ داری ہے کہ وہ عدالت کے کام کاج اور جونیئر اور سینئر وکلاء کا احترام کریں۔ سینئر وکیل کی سرپرستی میں رہ کر سیکھنے سے پریکٹس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ورما نے کہا کہ وکالت کی باریکیوں کو سینئر وکیلوں کے تحفظ میں رہ کر آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ پروگرام میں ڈسٹرکٹ بار کے نائب صدر اول منوج سریواستو، ایگزیکٹو ممبران منوج راجپوت، انوج سریواستو، گورو گپتا، اوم پرکاش یادو، سینئر ایڈوکیٹ بلرام سنگھ، شیلیندر ورما، محمد آفاق، راجیش پانڈے اور دیگر ایڈوکیٹ موجود تھے۔ آڈیٹوریم میں موجود کالج کے پروفیسر منجے کمار یادو، پروفیسر انکت مشرا، پروفیسر دھرمیندر یادو نے قانونی پہلوؤں پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔

स्वतंत्र प्रभात

03 Feb 2023 - Page 4

जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा ने कानून अध्ययन करने वाले टीआरसी लॉ सतरिख के विद्यार्थियों को कई कोर्टों का भ्रमण कराते हुए पढ़ाया कानून का पाठ

स्वतंत्र प्रभात

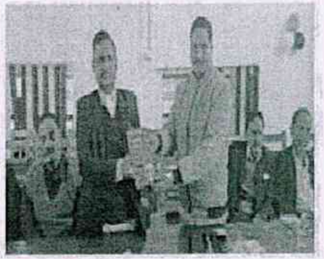

बाराबंकी-आज 2 फरवरी23 को टी आर सी ला कालेज के सात दर्जन विद्यार्थियों को सर्व प्रथम जिला बार सभागार बाराबंकी में सभी विद्यार्थियों को विधिक जानकारी देते हुए बताया कि वकालत एक तपस्या है जो जितनी तपस्या करेगा उसको उतनी सफलता मिलेगी।कचहरी में आने से पहले कोर्ट की कार्यप्रणाली व जूनियर सीनियर का सम्मान प्रथम दायित्व होता है सबसे पहले जिस छेत्र में जाना है उस छेत्र के सीनियर के शंरक्षण में जाना होगा।आजकल के दौर में बिना सीनियर के ही कुछ लोग वकालत करने लगते हैं जो अच्छे वकील बनने में प्रभाव रखता है इसके अतिरिक्त अनुभव के अभाव में वादकारियों के खिलाफ निर्णय हो जाते हैं जबकि वादकारी आपके विश्वास पर सादे कागज पर अंगूठा लगा देता है हस्ताक्षर कर देता उसको आपके अनुभव की जानकारी नही होती है इस लिये जूनियर अधिवक्ता को जंहा न समझ आ रहा हो कोई कार्यवाही से पूर्व किसी सीनियर अधिवक्ता से पूछने में हिचक नही करना चाहिये।कार्यक्रम में जिला बार उपाध्यक्ष प्रथम मनोज श्रीवास्तव, कार्यकारिणी सदस्य मनोज राजपूत, अनुज श्रीवास्तव, गौरव गुप्ता ,ओम प्रकाश यादव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बलराम सिंह ,शैलेन्द्र वर्मा ,मो आफाक, राजेश पांडे राम प्रकाश सहित सैकड़ों अधिवक्तागड तथा कालेज के प्रोफेशर मंजय कुमार यादव ,प्री,अंकित मिश्रा, प्रो धर्मेन्द्र यादव आदिने भाग लेकर कानूनी पहलुओं पर विचार रखे।

टीआरसी लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों ने जिला बार एसोसिएशन बाराबंकी का किया भ्रमण

निष्पक्ष प्रतिदिन। बाराबंकी

गुरूवार को टी.आर.सी. लॉ कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जिला बार एसोसिएशन के भ्रमण के दौरान अधिवक्ता नैतिकता, न्यायलय की कार्यवाही आदि की जानकारी ली।

विधि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने मुकदमों से सम्बन्धित न्यायालयों, वाद पत्रों आदि के बारे में जिला बार एसोसिएशन, बाराबंकी के अध्यक्ष नरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने छात्र छात्राओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को विषय, बार-बेंच सम्बन्ध, न्यायलयों एवं अपने पाठ्यक्रम का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और उनकी मूट कोर्ट द्वारा, बार भ्रमण आदि के द्वारा प्रयोगात्मक जानकारी करना अति आवश्यक है। मूट कोर्ट एवं प्रोफेशनल इथिक्स के बारे में जानकारी देते हुए अधिवक्ता मनोज बाजपेई ने कहा कि विधि के विद्यार्थियों को निरन्तर मूटकोर्ट का अभ्यास करना चाहिए एवं वैयक्तिक आचार की जानकारी अपने व्यवसाय में जरूर अपनाना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता बलराम सिंह ने बताया कि विधि का ज्ञान दीया है और वाद पत्र भगवान का मुख है। अधिवक्ता समाज का इंजीनियर है। प्रत्येक अधिवक्ता की ड्राफटिंग अच्छी होनी चाहिए। जिससे वह अपने विषय की प्रस्तुति न्यायलय में अच्छी तरह से कर सके। अधिवक्ता का समाज के प्रति भी दायित्व होता है। अधिवक्ता मोहम्मद अशफाक ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं का कनिष्ठ अधिवक्ताओं के प्रति क्या भाव होना चाहिए। वरिष्ठ और कनिष्ठ को एक दूसरे के प्रति आदर करने की भावना हर अधिवक्ता में होनी चाहिए। उन्होंने दो बातों पर जोर देते हुए कहा कि भारतीय दण्ड संहिता का अध्ययन और इसके साथ साथ दण्ड प्रक्रिया का अध्ययन होना अति आवश्यक है। अधिवक्ता शैलेन्द्र वर्मा ने कहा कि अधिवक्ता पद की गरिमा का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए।

> विद्यार्थियों को विषय, बार-बेंच सम्बन्ध, न्यायालयों एवं अपने पाठ्यक्रम का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और उनकी मूट कोर्ट द्वारा, बार भ्रमण आदि के द्वारा प्रयोगात्मक जानकारी करना अति आवश्यक है

समाचार | रोहित संवाद | 2

दैनिक अखबार की हुई प्रशंसा

रोहित संवाद : गगन तिवारी जिला क्राइम रिपोर्टर।

बाराबंकी । दैनिक रोहित संवाद पेपर के जिला क्राइम रिपोर्टर ने बृहस्पतिवार को सतरिख थाना प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार को रोहित संवाद अखबार की प्रति भेंट करके उनका सम्मान किया इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक महोदय ने निर्भीक व निष्पक्ष खबर के प्रकाशन के लिए अखबार की भूरी भूरी प्रशंसा किया। इसके बाद टीआरसी ला कालेज के प्रबंधक डॉ सुजीत चतुर्वेदी को रोहित संवाद अखबार की प्रति भेंट की गई। उन्होंने इस अवसर पर अखबार द्वारा समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ निष्पक्ष आवाज उठाने की भूरी भूरी प्रशंसा किया। और कहा कि अखबार से ही लोगों को देश दुनिया की सही जानकारी मिल पाती है। अखबार समाज का आईना होता है। निष्पक्ष और सही खबरों के द्वारा ही समाज से भ्रष्टाचार का अंत किया जा सकता है।

बाराबंकी : 03 फरवरी 2023 | बाराबंकी

विधि के छात्रों ने जिला बार का किया भ्रमण।

रोहित सवाद : गगन तिवारी जिला क्राइम रिपोर्टर

बाराबंकी। कस्बा सतरिख में स्थित टीआरसी लॉ कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जिला बार एसोसिएशन का भ्रमण बृहस्पतिवार को किया। भ्रमण के दौरान अधिवक्ता नैतिकता आदि के बारे में जानकारी प्राप्त किया। विधि विद्यालय के छात्र छात्राओं ने मुकदमों से संबंधित न्यायालय वाद पत्र वाद के बारे में जिला एसोसिएशन बाराबंकी के अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने छात्र–छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को विषय बार बेंच संबंधित न्यायालयों एवं अपने पाठ्यक्रम का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और उनकी मूट कोर्ट द्वारा भ्रमण बार भ्रमण आदि के द्वारा प्रयोगात्मक जानकारी करना अति आवश्यक है। विद्यार्थियों को निरंतर मूट कोर्ट का अभ्यास करना आवश्यक है। वरिष्ठ अधिवक्ता बलराम सिंह ने बताया कि विधि का ज्ञान दीपक है। अधिवक्ता समाज का इंजीनियर होता है। वरिष्ठ और कनिष्क अधिवक्ताओं के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। भ्रमण के दौरान विधि के विद्यार्थियों को जिला जज के न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों की कार्यवाही से अवगत कराया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रवक्ता मंजय यादव, अंकित मिश्रा, धर्मेंद्र कुमार सहित भारी संख्या में महाविद्यालय के छात्र छात्राए उपस्थित रहे।

टीआरसी. लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों ने जिला बार एसोसिएशन, बाराबंकी का किया भ्रमण

विश्ववार्ता संवाददाता

बाराबंकी। गुरुवार को टी.आर.सी. लॉ कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जिला बार एसोसिएशन के भ्रमण के दौरान अधिवक्ता नैतिकता, न्यायालय की कार्यवाही आदि की जानकारी ली। विधि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने मुकदमों से सम्बन्धित न्यायालयों, वाद पत्रों आदि के बारे में जिला बार एसोसिएशन, बाराबंकी के अध्यक्ष नरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने छात्र छात्राओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को विषय, बार-बेंच सम्बन्ध, न्यायालयों एवं अपने पाठ्यक्रम का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और उनकी मूट कोर्ट द्वारा, बार भ्रमण आदि के द्वारा प्रयोगात्मक जानकारी करना अति आवश्यक है। मूट कोर्ट एवं प्रोफेशनल प्रैक्टिस के बारे में जानकारी देते हुए अधिवक्ता मनोज बाजपेई ने कहा कि विधि के विद्यार्थियों को निरन्तर मूटकोर्ट का अभ्यास करना चाहिए एवं [illegible] की जानकारी अपने व्यवहार में उतार [illegible] चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता बलराम सिंह ने बताया कि विधि का ज्ञान दीया है और वाद पत्र भगवान का मुख है। अधिवक्ता समाज का इंजीनियर है। प्रत्येक अधिवक्ता की ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए। जिससे वह अपने विषय की प्रस्तुति न्यायालय में अच्छी तरह से कर सके। अधिवक्ता का समाज के प्रति भी दायित्व होता है। अधिवक्ता मोहम्मद अशफाक ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं का कनिष्ठ अधिवक्ताओं के प्रति क्या भाव होना चाहिए। वरिष्ठ और कनिष्ठ को एक दूसरे के प्रति आदर करने की भावना हर अधिवक्ता में होनी चाहिए। उन्होंने दो बातों पर जोर देते हुए कहा कि भारतीय दण्ड संहिता का अध्ययन और इसके साथ साथ दण्ड प्रक्रिया का अध्ययन होना अति आवश्यक है। अधिवक्ता शैलेन्द्र वर्मा ने कहा कि अधिवक्ता पद की गरिमा का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए और पूरे मनोयोग के साथ अपने व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए। भ्रमण के दौरान विधि के विद्यार्थियों को जिला जज के न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों की कार्यवाही से अवगत कराया गया। इस अवसर पर विधि महाविद्यालय के प्रवक्ता संजय यादव, अंकित मिश्र, धर्मेन्द्र कुमार आदि। सहित भारी संख्या में महाविद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।

विद्यार्थियों ने किया जिला बार का भ्रमण

बाराबंकी (एसएनबी)। गुरुवार को टी.आर.सी. लॉ कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जिला बार एसोसिएशन के भ्रमण के दौरान अधिवक्ता नैतिकता, न्यायालय की कार्यवाही आदि की जानकारी ली।

विधि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने मुकदमों से सम्बन्धित न्यायालयों, वाद पत्रों आदि के बारे में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में जाना। उन्होंने छात्र छात्राओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को विषय, बार-बेंच सम्बन्ध, न्यायालयों एवं अपने पाठ्यक्रम का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और उनकी मूट कोर्ट द्वारा, बार भ्रमण आदि के द्वारा प्रयोगात्मक जानकारी करना अति आवश्यक है। अधिवक्ता मनोज बाजपेई ने कहा कि विधि के विद्यार्थियों को निरन्तर मूटकोर्ट का अभ्यास करना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता बलराम सिंह ने बताया कि विधि का ज्ञान दीया है और वाद पत्र भगवान का मुख है। अधिवक्ता समाज का इंजीनियर है। प्रत्येक अधिवक्ता की ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए। जिससे वह अपने विषय की प्रस्तुति न्यायालय में अच्छी तरह से कर सके। अधिवक्ता का समाज के प्रति भी दायित्व होता है। अधिवक्ता मोहम्मद अशफाक ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं का कनिष्ठ अधिवक्ताओं के प्रति क्या भाव होना चाहिए। वरिष्ठ और कनिष्ठ को एक दूसरे के प्रति आदर करने की भावना हर अधिवक्ता में होनी चाहिए। अधिवक्ता शैलेन्द्र वर्मा ने कहा कि अधिवक्ता पद की गरिमा का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए और पूरे मनोयोग के साथ अपने व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए। इस अवसर पर विधि महाविद्यालय के प्रवक्ता मंजय यादव, अंकित मिश्रा, धर्मेन्द्र कुमार सहित महाविद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।

टीआरसी लॉ कालेज की छात्राएं।

विद्यार्थियों ने किया बार एसोसिएशन का भ्रमण

बाराबंकी। सतरिख स्थित टीआरसी लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों ने गुरुवार को जिला बार एसोसिएशन के भ्रमण के दौरान अधिवक्ता नैतिकता, न्यायालय की कार्यवाही आदि की जानकारी ली। छात्र-छात्राओं को मुकदमों से संबंधित न्यायालयों, वाद पत्रों आदि के बारे में जानकारी देते हुए बार एसोसिएशन अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों को विषय, बार-बेंच संबंध, न्यायालयों एवं अपने पाठ्यक्रम का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अधिवक्ता मनोज बाजपेई, बलराम सिंह ने भी न्यायिक कार्यों की जानकारी दी और अधिवक्ता के समाज के प्रति दायित्वों से अवगत कराया। संवाद

वॉयस ऑफ लखनऊ

विधि विद्यार्थियों को जिला बार अध्यक्ष ने दी न्यायालय की कार्यवाहियों की जानकारी

बाराबंकी। अधिवक्ता नैतिकता, न्यायालय की कार्यवाहियो की जानकारी दिये जाने हेतु टी०आर०सी लॉ कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने जिला बार एसोसिएशन का भ्रमण कर जानकारी ली। बार अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार वर्मा की अध्यक्षता में विधि के छात्र-छात्राओ ने मुकदमो से सम्बधित न्यायालयो, वाद पत्रो आदि की जानकारी ली। इस मौके पर बार अध्यक्ष श्री वर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों को विषय, बार-बेंच सम्बन्ध, न्यायालयों एवं अपने पाठ्यक्रम का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और उनकी मूट कोर्ट द्वारा, बार भ्रमण आदि के द्वारा प्रयोगात्मक जानकारी करना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता मनोज बाजपेई, वरिष्ठ अधिवक्ता बलराम सिंह, अधिवक्ता मोहम्मद अशफाक, अधिवक्ता शैलेन्द्र वर्मा ने भी छात्र-छात्राओ को न्यायालयो की कार्यवाही से अवगत कराया।

लॉ कॉलेज के विधि छात्र/छात्राओं की दिनांक 02.02.2023 को जिला बार एसोसिएशन, बाराबंकी भ्रमण के सम्बन्ध में सूची

S.No.	Name	Father Name
1	Mahendra Singh	Ram Kishor
2	Jitendra Kumar	Chhote Lal
3	Abhishek Kumar Yadav	Vivekanand
4	Shariq Ansari	Islamuddin
5	Ashutosh Kumar Verma	Rakesh Kumar
6	Ankit Kumar	Ram Vilas
7	Manoj Kumar	Sri Ram
8	Rohit Kumar	Om Prakash
9	Suraj Kumar	Awadhram
10	Nisha Soni	Rakesh Kumar Soni
11	Reetika Verma	Jaswant Singh
12	Dharmendra Kumar	Naumi Lal
13	Kundan Singh	Prithvi Pal Singh
14	Raman Kumar	Narendra Kumar
15	Vikas Verma	Badlu Ram
16	Vinay Kumar	Balram
17	Vatan Singh	Rajesh Babu
18	Alok Kumar	Ram Narayan
19	Saurabh Shukla	Rama Shankar
20	Praveen Kumar	Raj Kumar
21	Mohd Saqlain Warshi	Izhar Siddiqui
22	Deepak Kumar Yadav	Suresh Chandra Yadav
23	Devendra Kumar Verma	Gokaran Lal
24	Bholey Shankar Rawat	Jai Prakash
25	Anurudh Kumar	Suresh Chandra
26	Anil Kumar	Shiv Pal
27	Shashank Singh	Pramod Kumar Singh
28	Awadhesh Kumar Yadav	Fool Chand Yadav
29	Aman Sharma	Sarju Sharma
30	Samar Singh	Chandrika Prasad
31	Saubhagya	Parashuram
32	Ghanshyam Yadav	Sundar Lal Yadav
33	Ravi Tiwari	Anil Tiwari
34	Vipin Mishra	Girish Kumar Mishra
35	Sandeep Kumar	Ram Gopal
36	Masoom Raza	Mohd. Rizwan
37	Suneel Kumar	Ram Singh
38	Anupam Dwivedi	Anand Prakash Dwivedi
39	Rahul	Nageshwar Prasad
40	Sonu Kumar Verma	Surendra Kumar

41	Komal Singh	Rameshwar Prasad
42	Amna Parveen	Mohd Shareef
43	Mohd Raza	Riyazul Husain
44	Satyendra Kumar	Rajendra Prasad
45	Raj Shrivastava	Mohan Srivastava
46	Anjali Sharma	Ram Manohar Sharma
47	Deepshree Rastogi	Kasturi Chandra Rastogi
48	Gyanwati	Santram
49	Mohd Ruhel	Kalimuddin
50	Mohd Rafat Khan	Jamal Ahmad
51	Mohd Alim	Ubaidullah
52	Raghvendra Kumar	Ravi Kumar Trivedi
53	Sanwali Mishra	Ghanshyam Mishra
54	Govind Kumar	Mahesh Ram
55	Avneesh Kumar	Suresh Singh
56	Ajeet Kumar Yadav	Hari Narayan Yadav
57	Shiv Kumar	Ram Bharose
58	Rohit Yadav	Hardayal Yadav
59	Shantanu Mishra	Satish Chandra Mishra
60	Nishchay Saini	Susheel Saini
61	Ankul Kumar Prajapati	Ram Sajeevan Prajapati
62	Balram Mishra	Dharam Dev Mishra
63	Sudhanshu Shukla	Arun Kumar Shukla
64	Afreen Bano	Mohammad Shuib
65	Suman Kumari	Chhanga Lal
66	Yaseen Ahamad	Shaqeel Ahamad
67	Mohd Maaz	Gulam Nizamuddin
68	Parth Chaturvedi	Dileep Kumar Chaturvedi
69	Ambar Verma	Ramroop Verma
70	Ambuj Verma	Ramroop Verma
71	Aneeta Verma	Badluram Veram
72	Anjali Verma	Chandra Shekhar
73	Shraddha Nigam	Ashok Kumar Nigam

2/2/23
नरेन्द्र कुमार वर्मा
अध्यक्ष
जिला बार एसोसिएशन, बाराबंकी

डा. अश्वनी कुमार गुप्ता
प्राचार्य

TRC LAW COLLEGE

Affiliated to Dr. Ram Manohar Lohia Awadh University, Ayodhya
(Approved by Bar Council of India, New Delhi)

Notification No: Date: 20/01/2023

नोटिस

बी.ए. एलएल.बी सप्तम सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि 02 फरवरी, 2023 को जिला बार भ्रमण होना सुनिश्चित हुआ है।

अतः समस्त छात्र छात्राएं जिला बार भ्रमण हेतु अपना पंजीकरण, सेमेस्टर मेन्टर **श्रीमती रोहिणी त्रिपाठी** के पास अवश्य कराएं।

समन्वयक शैक्षणिक
पंचवर्षीय विधि पाठ्यक्रम

88 Vasudev Nagar, Satrikh, Barabanki Uttar Pradesh 225122; +915248272727,
mdtrclc@gmail.com; www.trclc.org

TRC LAW COLLEGE

Affiliated to Dr. Ram Manohar Lohia Awadh University, Ayodhya
(Approved by Bar Council of India, New Delhi)

Notification No: Date: 20/01/2023

नोटिस

एलएल.बी तृतीय सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि 02 फरवरी, 2023 को जिला बार भ्रमण होना सुनिश्चित हुआ है।

अतः समस्त छात्र छात्राएं जिला बार भ्रमण हेतु अपना पंजीकरण सेमेस्टर मेन्टर **श्री मंजय कुमार यादव** के पास अवश्य कराएं।

समन्वयक शैक्षणिक
त्रिवर्षीय विधि पाठ्यक्रम

TRC LAW COLLEGE

Affiliated to Dr. Ram Manohar Lohia Awadh University, Ayodhya
(Approved by Bar Council of India, New Delhi)

Notification No: TRCLC/Pri. off./PDBAB/22-23/012 Date: 16/01/2023

सेवा में,

अध्यक्ष
जिला बार एसोसिएशन
जनपद बाराबंकी

महोदय,

निवेदन के क्रम में सादर अवगत कराना है कि, टी.आर.सी. लॉ कालेज सतरिख, बाराबंकी विधि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम का संचालन करता है, जो कि डा. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या से सम्बद्ध है एवं भारतीय विधिज्ञ परिषद्, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त है। पाठ्यक्रम के अनुक्रम में इसका एक भाग वृत्तिक आचार, अधिवक्ताओं की जबावदेही एवं बेंच–बार सम्बन्ध है, जिस हेतु विधि के विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम के दौरान एक बार जिला बार का भ्रमण आवश्यक होता है।

अस्तु, आपसे विनम्र निवेदन है कि जिला बार भ्रमण हेतु विद्यार्थियों के लिए तिथि एवं समय सुनिश्चित कर अनुमति प्रदान करने की कृपा करें, जिससे विधि के विद्यार्थी लाभान्वित हो सके।

सादर

प्राप्त किया
आवश्यक कार्यवाही
16/1/2023

भवदीय

प्राचार्य
टी.आर.सी. लॉ कालेज